

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर  
राजस्व वाद 63/2022(2022/207)

1. गोकली पुत्री श्री भूरा जाति रेगर।
2. मदन पुत्र श्री भूरा जाति रेगर दोनो जाति रेगर निवासीगण ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

◆ वनाम ◆

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।
2. कैलाशी पत्नि स्व. श्री गोपीलाल जाति रेगर।
3. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपीलाल जाति रेगर।
4. लीला पुत्री श्री गोपीलाल जाति रेगर।
5. शीला पुत्री श्री गोपीलाल जाति रेगर।
6. सूरता पुत्री श्री गोपीलाल जाति रेगर।

--- अप्रार्थीगण

---प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:-

प्रार्थी वकील :- श्री शिवप्रसाद पाराशर

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी


आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम केसरपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत 2071-76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:-

खाता संख्या (नया-पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
318-40	5611/6129	0.30	बारानी 2
	कुल कित्ता 1	रकबा 0.30 हैक्टर	

उक्त वाद वर्णित आराजी वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आधार में वादी का नाम बतौर खातेदार काश्त का अंकन हो रखा है। वादी ही उक्त आराजी का मालिक एव स्वामी बतौर रिकार्डेड खातेदार है। वादी के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का उक्त वाद वर्णित आराजी से किसी प्रकार का कोई विधिक सम्बन्ध सरोकार नहीं है। यह कि वाद वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रकबा 0.30 हैक्टर अंकन हो रहा है लेकिन मौके पर भौतिक रूप से कब्ज़ एरिया पूरा नहीं होकर कम हो रखा है जिससे वादी अपनी खातेदारी की आराजी के सम्पूर्ण रकबा का सही उपभोग उपयोग नहीं कर पा रहा है एवं वादी के कब्जे काश्त में अनेक प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है जिससे वादी उक्त वाद वर्णित आराजी की स्थायी पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे उक्त वाद प्रस्तुत

  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत बैंक  
(राज्य का विधिक सेवा समिति)  
केकडी (अजमेर)





करना लाजमी आया है। वादी ने वाद वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करने के लिये प्रतिवादी से दिनांक 15.03.2022 को निवेदन किया लेकिन वादी की कोई सुनवायी नहीं हुई तथा मान्य न्यायालय से स्थायी पत्थर गढी किये जाने के आदेश लाने को कहा गया था जिससे वादी को अपनी खातेदारी की वाद वर्णित आराजी की स्थायी पत्थर गढी कराने बावत् मान्य न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वाद का मूल कारण वाद वर्णित आराजी का मौके पर रकबा एरिया कम होने तथा खातेदारी की आराजी के सम्पूर्ण रकबा का सही उपभोग नहीं होने एवं स्थायी पत्थर गढी के अभाव में कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न होने से एवं प्रतिवादी द्वारा वादी की दिनांक 15.03.2022 की सुनवायी नहीं करने से उत्पन्न हुआ एवं दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रतिवादी लैण्ड लोर्ड होने एवं स्थायी पत्थर गढी आदेश की पालना के लिए अधिकृत होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद सुनने का मान्य न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार है तथा वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है एवं स्थायी पत्थर गढी हेतु वादपत्र नियमानुसार कोर्ट फीस चस्पानगी कर दी गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना

किया। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमें बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नहीं है प्रार्थी द्वारा पडोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त जवाब सरकार दिनांक 9.5.2022 को पेश हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भूरा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम केसरपुरा तहसील केकडी की जमाबन्दी सवत 2071-74 के खाता सख्या नया पुराना 318-40 के खसरा नंबर 5611/6129 रकबा 0.30 हेक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिफेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
लोक अदालत व  
तालुका विधिक सेवा समिति  
केकडी जिला-अजमेर

  
उपस्थित अधिकारी  
लोक अदालत व  
(तालुका विधिक सेवा समिति)  
केकडी (अजमेर)